चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 24.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 23409.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनांक 24.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया । परेड में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों की ड्रिल का निरीक्षण किया । बाद परेड महोदय द्वारा पुलिस लाइन का भ्रमण कर मैस, बैरिक, सीपीसी कैन्टीन, आरओआईपी डायल 112, रेडियो कन्ट्रोल रूम,क्वार्टर गार्द,स्टोर रूम का निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये । तत्पश्चात महोदय द्वारा कर्मचारीगणों को अर्दली रुम किया गया ।

(4). आज दिनाँक 24.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सनी चतुर्वेदी तथा उनके हमराही आरक्षी शरद कुमार, आरक्षी आनन्द प्रताप सिंह द्वारा अभियुक्त रज्जाक अली पुत्र चुन्नू खां निवासी बारामाफी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 34 क्वार्टर देशी शराब के गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(6). आज दिनाँक 24.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में व्यापारियों के साथ गोष्ठी की गयी । गोष्ठी में व्यापारियों को सतर्कता रखने हेतु बताते हुये कहा गया कि जेवरात एवं नगदी लेकर चलते समय सतर्कता रखें यथासम्भव चार पहिया वाहन का प्रयोग करें। बाइक पर नकदी व जेवर लेकर अकेले सफर न करें कम से कम दो लोग तो एक साथ सफर करें । अपनी-अपनी दुकानों में एवं दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवायें, दुकानों के बाहर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करायें । इस दौरान व्यापारियों की समस्याऐं सुनी गयीं एवं निस्तारण हेतु सम्बन्धित को बताया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी श्री यामीन अहमद ,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह,पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री प्रमोद जायसवाल,व्यापार मंडल उपाध्यक्ष श्री नन्द किशोर, श्री शानू गुप्ता राष्ट्रीय महामंत्री व्यापार संघ,श्री विनोद केसरवानी प्रदेश मंत्री व्यापार संघ, श्री राहुल गुप्ता अध्यक्ष युवा व्यापार मंडल चित्रकूट, श्री बृजेश त्रिपाठी बुंदेलखंड सेफ ऑफ कॉमर्स एवम् जनपद चित्रकूट के व्यापारीबंधु उपस्थित रहे ।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी वेदांत तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री श्रीप्रकाश यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 250/2022 धारा 498ए भादवि0 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त 1.अरविन्द कुमार पाण्डेय पुत्र राम प्रकाश पाण्डेय 2.रामप्रकाश पाण्डेय

पुत्र शिवमोहन पाण्डेय 3.अनूपा देवी पत्नी रामप्रकाश पाण्डेय निवासीगण ब्यूर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को को 03-03 वर्ष कारावास व 08-08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

उल्लेखनीय है वादी श्री वीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी पुत्र शिवचरन त्रिपाठी निवासी बगरेही थाना रैपुरा हाल मुकान एसडीएम कालोनी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ने कोतवाली कर्वी में सूचना दी थी कि उनकी पुत्री संध्या को ससुरलीजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग कर प्रताड़ित करना व पुत्री को दिनांक 07.07.2022 को हत्या कर पंखे से लटका दिया था। सूचना पर दिनाँक 07.07.2022 को घटना के सम्बन्ध में कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 250/2022 धारा 498ए,304(B) भादवि0 व ¾ द0प्र0 अधिनियम बनाम मृतका का पति अरविन्द कुमार पाण्डेय, ससुर रामप्रकाश पाण्डेय, सास अनूपा देवी उपरोक्त तथा ननद व देवर पंजीकृत किया गया था ।मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय द्वारा संपादित की गयी। दिनाँक 11.07.2022 को उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा दिनाँक 27.09.2022 को उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था तथा मृतका की ननद व देवर की नामजदगी गलत पायी गयी थी। माननीय न्यायालय में ट्रायल के दौरान धारा 304बी भादवि0 का होना नहीं पाया गया तथा उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को धारा 498ए भादवि0 व 3/4 द0प्र0 अधि0 के तहत दण्डित किया गया।